बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

वेबसाइट:- bsbccl.bihar.gov.in

BSBCCL

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)

Website:- bsbccl.bihar.gov.in

Build Green, Live Green!

CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक–बी0एस0बी0सी0सी0एल0– 166/2015 (40) दिनांक:– 02/12/23

कार्यालय आदेश संख्या–.......42......./2023

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, के मुख्यालय स्तर पर प्रशासन शाखा से संबंधित दैनिक संचिकाओं/सामान्य पत्राचार/मुख्यालय स्तर पर कार्यरत सभी प्रकार के कर्मियों का मासिक अनुपस्थिति/उपस्थिति विवरणी का निस्तार महाप्रबंधक (प्रशासन) के स्तर से होगा। वैसी संचिकाएँ जिन्हे प्रबंध निदेशक के स्तर पर उपस्थापित किया जाना अनिवार्य होगा, उसे महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा प्रबंध निदेशक को उपस्थापित की जाएगी। क्रय से संबंधित प्रस्ताव पर क्रय समिति की अनुशांसा/ निर्णय अनिवार्य होगा।

2. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, में उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय कार्यालय सहित) एवं उनसे उपर के पदाधिकारियों एवं प्रबंध निदेशक के गोपनीय शाखा से संबधित कर्मियों का अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 हैं। निगम मुख्यालय स्तर पर सहायक महाप्रबंधक स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों तक के लिए अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 होंगे। इस संदर्भ में कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
3. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का आवंटन से संबंधित सभी संचिकाएँ एवं ऐसी वैसी संचिकाएँ जिन्हे, प्रबंध निदेशक के स्तर पर उपस्थापित की जाने वाली हो, उसे महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा महाप्रबंधक (प्रशासन) के माध्यम से प्रबंध निदेशक को स्पष्ट मंतव्य के साथ उपस्थापित की जाएगी।
4. महाप्रबंधक (प्रशासन) के द्वारा नियमित तौर पर निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति एवं शाखाओं के कार्यो की समीक्षा की जाएगी। इस संदर्भ में महाप्रबंधक (प्रशासन) के द्वारा माँग की जाने वाली प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित तकनीकी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी एवं सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाई की होगी।
5. मुख्यलय स्तर पर किसी भी स्तर द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत करने से पूर्व महाप्रबंधक (प्रशासन) के माध्यम से प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

ह0/–

(प्रबंध निदेशक)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
लि0,पटना।

ज्ञापांक:– 4119 पटना/दिनांक:– 02/12/23

प्रतिलिपि:–मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/वरीय वास्तुविद्/सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक/सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी /आई0टी0 मैनेजर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/12/23

(प्रबंध निदेशक)